FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर एव उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा कैम्प पटेलनगर

वादी	**बनाम**	**प्रतिवादी**
रूपाराम		राजस्थान सरकार

किस्म मुकदमा राजस्व वाद संख्या–155/2021

अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान टीनेंसी एक्ट

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर वा तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
18.11.2021	प्रार्थी रूपाराम पुत्र हीराराम जाति कुम्हार निवासी पटेलनगर तहसील बिलाड़ा ने राजस्व शिविर कैम्प पटेलनगर में धारा–88 राजस्थान टीनेंसी एक्ट का आवेदन पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम पटेलनगर तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित खसरा नम्बर 1944 रकबा 2.7991 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1949 रकबा 1.4400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1954 रकबा 0.4450 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1956 रकबा 0.5501 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1957 रकबा 0.5906 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1968 रकबा 1.1569 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1969 रकबा 1.3429 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1970 रकबा 1.3996 हैक्टेयर कुल खसरा 8 कुल रकबा 9.7242 हैक्टेयर खातेदारी की आयी हुयी है। उक्त खातेदारी भूमि वादी के पिता शिवराम पुत्र बुद्धाराम जाति कुम्हार की थी। वादी के पिता को घर पर लाड प्यार से दो नाम शिवराम व हीराराम पुकारते थे। शिवराम व हीराराम एक ही व्यक्ति थे। राजस्व रेकर्ड में अज्ञानतावश वादी [illegible] ने अपना नाम शिवराम के बजाय हीराराम दर्ज करवा [illegible]। [illegible] ने अपनी भूमि पर ऋण लेने हेतु बैंक मैनेजर के पास [illegible] किया, एवं अपने दस्तावेज जमाबंदी, [illegible], राशनकार्ड आदि बैंक मैनेजर को बताया ओर निवेदन किया [illegible] ऋण स्वीकृत किया जावें जिस पर बैंक मैनेजर ने राजस्व रेकर्ड, दस्तावेजात देखकर वादी को बताया कि आपके सरकारी दस्तावेज में आपके पिता का	

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.25 16:02:22 IST
Reason: SelfAttested

नाम शिवराम लिखा हुआ है और आपके पिता का नाम जमाबंदी में हीराराम दर्ज किया हुआ है इस कारण ऋण स्वीकृत नहीं किया जा सकता है आप राजस्व रेकर्ड में अपने पिता का नाम शुद्धि करवा कर लावें तब ही आपको ऋण स्वीकृत किया जायेगा। अन्त में निवेदन किया कि खातेदारी भूमि में रूपाराम पुत्र हीराराम के स्थान पर रूपाराम पुत्र शिवराम की खातेदारी काश्तकारी की घोषित की जावे।

वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। वादी रूपाराम ने अपने वाद के समर्थन में अपने स्वयं के बयान दर्ज करवाये। वादी ने दस्तावेजी साक्ष्य सबूत के तौर पर वादी रूपाराम का राशनकार्ड, आधारकार्ड, पहचान पत्र आदि पेश किये है। वादी ने अपने वाद के समर्थन में गवाह पी.डब्लू. 1 राजूराम पुत्र रूपाराम जाति कुम्हार निवासी पटेलनगर के बयान कलमबद्ध करायें गये। तहसीलदार बिलाड़ा से उपरोक्त खातेदारी भूमि का जवाब प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया, जिसकी पालना में तहसीलदार बिलाड़ा नें जवाब पेश किया, जो जवाब को शामिल पत्रावली कराया गया। वादी ने मजमा आम में निवेदन किया कि मेरी उपरोक्त खातेदारी भूमि में मेरे पिता का नाम हीराराम लिख दिया गया है, गलत प्रविष्टि के कारण मेरी भूमि पर ऋण प्राप्त नहीं कर पा रहा हूं।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। दस्तावेजों का अध्ययन करने से विदित होता है कि वादी के पिता का नाम शिवराम के बजाय हीराराम दर्ज कर दिया गया है, जो एक त्रुटी है। उक्त वादी का वाद स्वीकार किये जाने योग्य है अतः ग्राम पटेलनगर तहसील बिलाड़ा की भूमि खसरा नम्बर 1944 रकबा 2.7991 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1949 रकबा 1.4400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1954 रकबा 0.4450 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1956 रकबा 0.5501 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1957 रकबा 0.5906 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1968 रकबा 1. 1569 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1969 रकबा 1.3429 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1970 रकबा 1.3996 हैक्टेयर कुल खसरा 8 कुल रकबा 9. 7242 हैक्टेयर की खातेदारी भूमि में रूपाराम पुत्र हीराराम के स्थान पर **रूपाराम पुत्र शिवराम** जाति कुम्हार निवासी पटेलनगर तहसील बिलाड़ा की खातदारी काश्तकारी की घोषित की जाती है। उक्तानुसार तहसीलदार बिलाड़ा राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करे। इसी माफिक निर्णय का डिक्री पर्चा जारी हों, पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों। निर्णय प्रशासन गांव के संग अभियान कैम्प ग्राम पटेलनगर में खुले में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.25 16:02:22 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा कैम्प पटेलनगर

व इजलास भवानी सिंह, आर.ए.एस.

वादी	**बनाम**	**प्रतिवादी**
रूपाराम पुत्र शिवराम जाति कुम्हार निवासी पटैलनगर तहसील बिलाड़ा		राजस्थान सरकार तहसीलदार बिलाड़ा

दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान टीनेंसी एक्ट

राजस्व वाद संख्या :– 155 / 2021

निर्णय **दिनांक** :– 18.11.. 2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी वादी स्वयं मिनजानिब मुददई, प्रतिवादी संख्या–1 सरकारी पैरोकार मिनजानिब मुददायलाह पे"ा होकर हुक्म दिया जाता है कि ग्राम पटेलनगर तहसील बिलाड़ा की भूमि खसरा नम्बर 1944 रकबा [illegible] हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1949 रकबा 1.4400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1954 रकबा 0.4450 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 195[illegible] रकबा 0.5501 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1957 रकबा 0.5906 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1968 रकबा [illegible] हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1969 रकबा 1.3429 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1970 रकबा 1.3996 हैक्टेयर कुल खसरा 8 कुल रकबा 9.7242 हैक्टेयर की खातेदारी भूमि में रूपाराम पुत्र हीराराम के स्थान पर **रूपाराम पुत्र शिवराम** जाति कुम्हार [illegible]सी पटेलनगर तहसील बिलाड़ा की खातेदारी काश्तकारी की घोषित की जाती है। उक्तानुसार तहसीलदार बिलाड़ा राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.25 16:02:22 IST
Reason: SelfAttested

(भवानी सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

तीज – मुबलिग – बाबत् –

खर्चा इस मुकद्दमे के मय व शरह – सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक – की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 18.11.2021 को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमि"नर			फीस कमि"नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :–इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

(भवानी सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.25 16:02:22 IST
Reason: SelfAttested